



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 219 राँची, मंगलवार,

13 मई, 2025 (ई०)

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

13 मई, 2025

विषय :- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम-2017 के आलोक में झारखण्ड राज्य के जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत 2.5 (ढाई) करोड़ रुपये तक लागत के कार्या हेतु वर्तमान में प्रवृत्त F2 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में ।

सं०सं०:-प०नि०वि०-08-निबं०-विविध-15/2011--पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत 2.5 (ढाई) करोड़ रुपये तक लागत के परियोजनाओं का कार्यान्वयन F2 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट पर आधारित है । F2 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम-2017 के अंतर्गत निबंधित GST Certificate से संबंधित कोई अनिवार्यता उल्लेखित नहीं है ।

2. राज्य में झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 प्रचलित है । उक्त के आलोक में वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 232 दिनांक 27.02.2025 द्वारा झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निबंधित संवेदकों से ही Works Contract Execute कराये जाने का परामर्श दिया गया है, जिसके आलोक में वर्तमान में लागू F2 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ।

3. पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत वर्तमान में 2.5 (ढ़ाई) करोड़ रुपये तक लागत के कार्यों हेतु लागू F2 कान्त्रैक्ट डॉक्यूमेंट में Section - 3 (Special Conditions for F2 Contract में कंडिका 3.24 निम्नरूपेण अन्तःस्थापित किया जाता है :-

कंडिका-3.24 - Before executing the Works Contract/ raising bill for payment, the contractor must submit their GST Registration Certificate in compliance with the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 Clause-22 (1).

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार,

सुनील कुमार,

सरकार के प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, झारखंड, रांची

ता
